

7.11.25

वकील ~~उपरी~~ इनामीलां 2 उप 0 | मुकदमा लंबित
रहने के दौरान नामांतरण सं. 747 डिनॉ 0
09.05.23 बावजूद स्टेट न्यायालय ~~का~~
सवाईमाधोपुर की अवहेलना करते हुए खोला
जाया है जिसे न्यायालय में खारिज करना
आवश्यक समझते हैं। अतः नामांतरण सं.
747 डिनॉ 09.05.23 को खारिज किया
जाता है ^{अपील स्वीकार की जाती है।} निपत्रावली फसल बुमार होकर नंबर
से कम होकर दाखिल दफतर हो।



914
उमाकांत अधिकारी
कौली (राजस)